भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 177

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

†177. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980, योजना के तहत निधियों के दुरुपयोग/गबन की कुछ घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में दोहरे भुगतान, गलत भुगतान, मृत्यु उपरांत पेंशन आहरण, एक ही बैंक खाते में कई बार पेंशन अंतरण के राज्य-वार कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्या कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) एवं (ख): स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन वितरण की जांच गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। उन्होंने बैंकों के नमूना आंकडों का अध्ययन किया था। सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, बैंकों को विसंगतियां दूर करने तथा आंकड़े पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सभी बैंकों से संशोधित आंकड़े दुबारा मांगे गए थे। संशोधित आंकड़ों की पुन: जांच करने पर, दुबारा सरकार की जानकारी में यह आया है कि बैंकर्स को केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्कीम की नीति को समझने में भ्रम होने के कारण कुछ विसंगतियां बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कुछ गैर-केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगियों को इस सूची में शामिल कर दिया था। कुछ मामलों में, बैंक पेंशनभोगियों देय राशि की अपेक्षा कम अथवा अधिक पेंशन राशि का भुगतान कर रहे थे।

(ग) से (ङ): केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण को सरल बनाने के उद्देश्य से बैंकरों के साथ अनेक बैठकें की गईं हैं। बैंकों को बकाया राशि का भुगतान करने अथवा अतिदेय की वसूली करने, जैसा भी मामला हो, का निदेश दिया गया है। वसूलियों के फलस्वरूप, बैंको ने केन्द्र सरकार को अब तक 40.76 करोड़ रूपए की राशि भेजी है। बैंकों द्वारा बकायों के कारण पेंशन भोगियों को 7.60 करोड़ रु. की राशि का भुगतान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से इस प्रकार की चूकों के लिए जिम्मेवार बैंकरों के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। सुधारात्मक उपाय के रूप में, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय (सीपीएओ) को बैंकों को बजटीय प्रावधान के भीतर केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संबंध में प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा गया है।

*****